BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

Press Note: PRD/Press Note/12/2022-23 31-Aug-2022

Milestones in Hallmark Scheme Post Implementation of Mandatory Hallmarking on 23rd June 2021

Gold is too soft to withstand wear & tear, therefore, for jewellery making, gold is always alloyed with some other metal. The need for alloying of gold also makes public extremely vulnerable to excessive adulteration. Detection of adulteration in gold is difficult without performing technical tests. The common consumer though well aware of such practices still has no option but to depend on the assurances given by traders.

It was in this background, Government of India took cognizance of the need for protecting consumers and decided to make Hallmarking of Gold jewellery and artefacts mandatory. The implementation of Mandatory Hallmarking was carried out in two phases:

- i) **First phase:** 1st phase of Mandatory Hallmarking was successfully implemented with effect from 23 June 2021 vide Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2022. In this phase, 3 grades of gold articles viz 14 carat (585 fineness), 18 carat (750 fineness) and 22 carat (916 fineness) were covered under mandatory hallmarking order. In this phase, the order was implemented in 256 districts having at least one Assaying and Hallmarking Centre.
- Second phase: 2nd phase of mandatory hallmarking was implemented from 01 June 2022 vide Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts (Amendment) Order, 2022, dated 04 April 2022. The second phase of the mandatory hallmarking covers three additional caratages of gold jewellery/artefacts viz. 20 carat (833 fineness), 23 (958 fineness) and 24 carats (995 fineness) as mentioned in the Indian Standard IS 1417.

The second phase covers additional 32 districts under the mandatory hallmarking regime wherein an Assaying and Hallmarking Centre (AHC) has been setup post implementation of the first phase of the mandatory hallmarking order. The list of 288 districts is available on the BIS website, www.bis.gov.in. More districts are likely to be covered under mandatory hallmarking order in due course of time.

Few important achievements in the field since the release of mandatory hallmarking on 16 June 2021 are -

1. Registration of Jewellers was made free and valid for lifetime.

- 2. Hallmark Unique Identification (HUID) based hallmarking portal was launched on 01 July 2021 wherein the entire workflow in assaying and hallmarking centre is automated and made online.
- 3. 8.68 crore jewellery articles were hallmarking in year 2021-2022 while 3.7 crore articles have been hallmarked since 01 April 2022 till 31 July 2022.
- 4. Number of BIS registered jewellers have increased from 43,153 on 01 July 2021 to 1,43,497 on 1 August 2022.
- 5. Number of recognised Assaying and Hallmarking Centres have also increased from 948 on 01 July 2021 to 1,220 on 31 July 2022.
- 6. Provision to check and authenticate hallmarked gold jewellery items with HUID number using 'verify HUID' in BIS CARE app was made live on 24 December 2021.
- 7. Provision to allow a common consumer to get the purity of their unhallmarked gold jewellery tested at any of the BIS recognized AHCs was launched on 01 January 2022. The AHC shall undertake the testing of gold jewellery from common consumers on priority and provide a test report to the consumer. The test report issued to the consumer will assure the consumer about the purity of their jewellery and will be useful if the consumer wishes to sell the jewellery available with him. The detailed guidelines on testing of gold jewellery of consumer and the list of recognized Assaying and Hallmarking centres can be accessed through the home page of BIS website, www.bis.gov.in
- 8. Scheme for setting up of Off Site Centre(OSC) by existing AHCs to increase their reach and facilitate jewellers and consumers launched on 01 January 2022. 08 OSCs were set up till 31 July 2022.

Public Relations Department

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल जारी करने हेतु

प्रेस नोट: पीआरडी /प्रेस नोट/12/2022-23 दिनांक 31 अगस्त 2022

दिनांक 23 जून 2021 को अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के बाद हॉलमार्क योजना में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

सोना धारण करने की दृष्टि से बहुत ही नरम होता है इसलिए ज्वैलरी बनाने के लिए सोने को हमेशा किसी अन्य धातु के साथ मिलाया जाता है। सोने में मिश्र धातु मिलाने की आवश्यकता के कारण लोग अत्यधिक मिलावट की चपेट में आ सकते हैं। बिना तकनीकी जांच के सोने में मिलावट का पता लगाना मुश्किल होता है। यह सब अच्छी तरह से जानने के बाद भी, सामान्य उपभोक्ता के पास धोखेबाज व्यापारियों से बार-बार धोखा खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता को संज्ञान में लिया और स्वर्ण आभूषणों और शिल्पकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का निर्णय लिया। अनिवार्य हॉलमार्किंग का कार्यान्वयन दो चरणों में किया गया:

- i) प्रथम चरण: स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2022 की हॉलमार्किंग के अंतर्गत दिनांक 23 जून 2021 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के पहले चरण को सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस चरण में, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के अंतर्गत सोने की वस्तुएं की 3 श्रेणियों अर्थात् 14 कैरेट (585 शुद्धता), 18 कैरेट (750 शुद्धता) और 22 कैरेट (916 शुद्धता) को शामिल किया गया। इस चरण में, 256 जिलों में जहां कम से कम एक एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र हो, वहां यह आदेश लागू किया गया।
- ii) दूसरा चरण: स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण शिल्पकृति आदेश, 2022 की हॉलमार्किंग के अंतर्गत दिनांक 04 अप्रैल 2022 से अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण को लागू किया गया। अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण में भारतीय मानक आईएस 1417 में यथा उल्लिखित स्वर्ण आभूषणों/शिल्पकृतियों के तीन अतिरिक्त कैरेट अर्थात् 20 कैरेट (833 शुद्धता), 23 कैरेट (958 शुद्धता) और 24 कैरेट (995 शुद्धता) शामिल हैं।

दूसरे चरण में अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 32 जिलों को शामिल किया गया है जिसमें अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के पहले चरण के कार्यान्वयन के बाद एक एसईंग और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) स्थापित किया गया है। 288 जिलों की सूची बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर उपलब्ध है। आने वाले समय में और जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के अंतर्गत शामिल किए जाने की संभावना है।

दिनांक 16 जून 2021 को अनिवार्य हॉलमार्किंग जारी होने के बाद से इस क्षेत्र में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं -

- 1. ज्वैलर्स का पंजीकरण मुफ्त और लाइफटाइम के लिए वैध कर दिया गया।
- 2. हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) आधारित हॉलमार्किंग पोर्टल दिनांक 01 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसमें एसईंग और हॉलमार्किंग केंद्र में संपूर्ण कार्य प्रवाह स्वचालित और ऑनलाइन किया गया है।
- 3. वर्ष 2021-2022 में 8.68 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग की गई, जबकि 01 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 तक 3.7 करोड़ वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई।
- 4. बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स की संख्या दिनांक 01 जुलाई 2021 को 43,153 से बढ़कर दिनांक 1 अगस्त 2022 को 1,43,497 हो गई है।

- 5. मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या भीदिनांक 01 जुलाई 2021 को 948 से बढ़कर दिनांक 31 जुलाई 2022 को 1,220 हो गई है।
- 6. बीआईएस केयर ऐप में 'वेरिफाई एचयूआईडी' का उपयोग करके एचयूआईडी नंबर के साथ हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच और प्रमाणित करने का प्रावधान दिनांक 24 दिसंबर 2021 को लाइव किया गया था।
- 7. एक आम उपभोक्ता को बीआईएस से मान्यता प्राप्त किसी भी एएचसी में अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच करने की अनुमित देने का प्रावधान 01 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। एएचसी प्राथमिकता के आधार पर आम उपभोक्ताओं से सोने के आभूषणों का परीक्षण करेगा औरउपभोक्ता को एक परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगा। उपभोक्ता को जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी और यदि उपभोक्ता अपने पास उपलब्ध आभूषणों को बेचना चाहता है तो यह उपयोगी होगी।

उपभोक्ता के सोने के आभूषणों के परीक्षण पर विस्तृत दिशानिर्देश और मान्यता प्राप्त एसईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची को बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in के होम पेज के माध्यम से देखा जा सकता है।

8. मौजूदा एएचसी द्वारा अपनी पहुंच बढ़ाने और ज्वैलर्स और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑफ साइट सेंटर (ओएससी) स्थापित करने की योजना 01 जनवरी 2022 को शुरू की गई। 31 जुलाई 2022 तक 08 ओएससी स्थापित किए गए थे।

जनसंपर्क विभाग